

गीतिका के.के. 21/02/17 वाणिज्यिक बनाव नाम सापरी देवी केवा रामा खत्री
 स्वामी केवा
 किस्म मुकदमा धारा 212 PTA मु0.न0 29 सन् 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22/2/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 PTA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 25/3/17 को पेश हो।</p>	
30/3/17	<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अतिरिक्त उपस्थित है विपक्षी गण। से उक्त कलक्टर मुज्यता के अतिरिक्त नदी है। जल शक्के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है। पत्रावली वास्ते उक्त विपक्षी गण 25/4/17 को पेश हो।</p>	<p>Mahesh W. S.</p>
26/4/17	<p>पत्रावली आज पेश हुई। राजस्व लोक अमानत अभियान न्याय धामके द्वार 2017 में निस्तारण किये जाने हेतु उभय पक्षों को नोटिस लोक अमानत। केस कोर्ट में उपस्थित होने बाबत जारी दिनांकाकर पत्रावली जटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत को दिनांक 22/5/17 को पेश हो।</p>	
22/5/17	<p>पत्रावली राजस्व लोक अमानत केस सेवा केन्द्र कोराणा पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों के मूल पत्रावली में राजीनामा लेकर निर्णय से युक्त है अतः उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त
फावली मूल फावली सं 17/17 के
साथ संलग्न की जावे। काफ़ संख्या
पत्रावली विहित शुभारंभ वगैरह
से कम हो।

विषय सूचया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मौलवाड़ा)